

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट(पिथौरागढ़)।**

पत्राक - 1860 / 13 सी0

E-mail- ccpwdaskote@gmail.com

सेवा में,

दिनांक 24-06-2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल रो मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No FP /UK / ROAD /540469 /2020)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्राक 8वीं/यू0सी0पी0/06/72/2021/एफ0सी0/340 दिनांक 06.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित है-

क0सं0	लगाई गई आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1	इस कार्यालय के बिन्दु सं0 2 के अनुसार प्रस्ताव को लाभान्वित होने वाले गांवों पर ही समाप्त किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा मार्ग को आगे बढ़ाये जाने का स्पष्टीकरण मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार तदनुसार प्रस्ताव को संशोधित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश 4.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है। उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा मोटर मार्ग की लम्बाई लाभान्वित आवादी तक संशोधित करते हुए प्रस्ताव गठन हेतु कहा गया है। जिसके कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण से ग्राम गदाली, बड़ीगांव व मौचोरा सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, परन्तु मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0 ही होने के कारण बिजौरी तक मोटर मार्ग नहीं पहुँच पा रहा है। मोटर मार्ग 0.500 किमी की अतिरिक्त लम्बाई पर बिजौरी तक जुड़ जाता, परन्तु स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष ही समरेखण अनुमोदित कराये जाने के कारण मोटर मार्ग वन क्षेत्र में समाप्त हो रहा है। मोटर मार्ग की लम्बाई कम किये जाने की स्थिति में बिजौरी की मोटर मार्ग से दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण मोटर मार्ग की लम्बाई कम किया जाना सम्भव नहीं है। इसको अतिरिक्त स्थानीय जनता द्वारा भी मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई से कम लम्बाई में निर्मित किये जाने हेतु विरोध किया जा रहा है। जिसके कम में मोटर मार्ग के संशोधित प्रस्ताव गठित किये जाने सम्भव नहीं है। अतः स्वीकृत 4.00 किमी0लम्बाई में ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित होगा।
2	राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षों की गणना 7 मी0 पर कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में कर ली गई है प्रपत्र अपलोड कर दिये गये हैं।
3	प्रस्ताव के अनुसार मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण निजी भूमि पर भी किया जाना है। जिसकी जानकारी ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा बी 2.4 पर उपलब्ध नहीं है। इस हेतु राज्य सरकार निजी भूमि में मलवा निस्तारण की जानकारी ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा बी 2.4 में अपलोड करने का कष्ट करें।	मोटर मार्ग में कुल 3.115 हे0 वन भूमि तथा 0.09 हे0 नापभूमि प्रभावित हो रही हैं। पूर्व में त्रुटिवश नापभूमि की सूचना अंकित नहीं की जा सकी। डाटा लॉक होने के कारण सूचना केवल नोडल अधिकारी स्तर से संशोधित किया जाना सम्भव है।(लैण्ड शैड्यूल संलग्न)
4	भू-संदर्भित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित मार्ग बिन्दु सं0 A से होता हुआ बिन्दु सं0 E के आगे तक जा रहा है, जबकि वैकल्पिक मार्ग में बिन्दु सं0 A से बिन्दु सं0 E तक की दूरी प्रस्तावित मार्ग से कम प्रतीत हो रही है। जिससे वैकल्पिक मार्ग ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार वैकल्पिक मार्ग न चुनने का कारण स्पष्ट करें।	वैकल्पिक मार्ग में अधिक बैंड पड़ रहे हैं तथा वैकल्पिक समरेखण में प्रस्तावित समरेखण से अधिक वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा भी प्रस्तावित समरेखण पर ही सहमति जताई गई है। भूवैज्ञानिक की आख्या के अनुसार भी वैकल्पिक समरेखण में अधिकांश स्थलों पर ग्रेडिएन्ट 1:4,1:5 के होने के कारण तकनीकी दृष्टि से भी वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 5 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे

है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।



(इ० संजीव राठी)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अस्कोट (पिथौरागढ़)।

पत्रांक / 13 सी० तद्दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता नि०ख० लो०नि०वि० अस्कोट।
प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन लो०नि०वि० अस्कोट।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अस्कोट (पिथौरागढ़)।